

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग

निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा मे दी जाने वाली फीस/निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु।

आवेदन पत्र

शैक्षणिक वर्ष 20.....20.....

(योजना कक्षा 10+2 की शिक्षा के पश्चात् इंजीनियरिंग/मेडीकल/कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए)

विकलांगता दर्शाता
छात्र/छात्रा का
नवीनतम फोटो

1. छात्र/छात्रा का पूरा नाम
2. पिता/पालक/अभिभावक का पूरा नाम
3. स्थायी निवास का पूरा पता (मूल निवास प्रमाण पत्र की अभिप्राप्ति संलग्न करें)
4. छात्र/छात्रा का लिंग (पुरुष/महिला)
5. छात्र/छात्रा की जन्मतिथि (मैट्रिक परीक्षा के आधार पर)
6. निःशक्तता का प्रकार एवं निःशक्तता का प्रतिशत (निःशक्तता का प्रमाण पत्र की अभिप्राप्ति संलग्न करें)
7. अध्ययनरत छात्र/छात्रा जिसने वह अध्ययनरत है, के विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय संस्थान का नाम :—
8. छात्र/छात्रा किस कक्षा मे अध्ययनरत है।
कक्षा मे प्रवेश का दिनांक
9. छात्र/छात्रा के अध्ययनरत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान मे प्रवेश का दिनांक
10. छात्र/छात्रा का वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) का स्पष्ट उल्लेख करें तथा (जाति प्रमाण पत्र की अभिप्राप्ति संलग्न करें)
11. छात्र/छात्रा का धर्म
12. विगत वर्ष मे छात्र/छात्रा द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा का नाम (अंक सूची की अभिप्राप्ति संलग्न करें)
13. विगत वर्ष मे छात्र/छात्रा को इस योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता स्वीकृत किया गया था अथवा नहीं ? हाँ या नहीं
यदि हाँ तो निम्नलिखित स्पष्ट करें :—
 1. विगत वर्ष की परीक्षा का नाम एवं वर्ष
 2. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम
 3. स्वीकृत शिक्षण शुल्क की राशि रूपये
 4. निर्वाह भत्ते की राशि रूपये
 5. परिवहन भत्ते की राशि रूपये
14. छात्र/छात्रा के माता—पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल, आय प्रमाण—पत्र संलग्न करें) रूपये

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है कोई भी असत्य जानकारी पाई जाने पर मुझे उक्त लाभ से वंचित किया जा सकेगा। इस योजना हेतु मेरे द्वारा शासन के नियम/निर्देशों के अनुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है। नियमों में दर्शायी गई सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

स्थान :—

छात्र/छात्रा का पूरा नाम तथा हस्ताक्षर

दिनांक :—

पिता/पालक/अभिभावक का नाम तथा हस्ताक्षर

आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण—पत्रों का विवरण :—

1. 2 3
4. 5 6

संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा (श्री/कुमारी) आत्मज
श्री/श्रीमती विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में
नियमित रूप से प्रवेश दिया गया है, छात्र/छात्रा का व्यवहार/चरित्र उत्तम है।

छात्र/छात्रा का उक्त कक्षा के लिए माहविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में शिक्षण शुल्क के रूप में वर्ष
के लिए रूपये (शब्दों में रूपये) जमा किए जाने होंगे।

अशासकीय महाविद्यालय/संस्थान होने की स्थिति में शिक्षण शुल्क की राशि शासकीय माहविद्यालय/संस्थान में
उसे परीक्षा के लिए ली जाने वाली फीस (शिक्षण शुल्क) के बराबर ही देय होगी।

संस्था प्रमुख का नाम तथा हस्ताक्षर

स्थान :—

दिनांक :—

कार्यालय संयुक्त संचालक,सामाजिक न्याय,इन्डौर संभाग इन्डौर के कार्यालयीन उपयोग हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा (श्री/कुमारी) आत्मज
श्री/श्रीमती विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में
नियमित रूप से प्रवेश दिया गया है, छात्र/छात्रा का व्यवहार/चरित्र उत्तम है।

छात्र/छात्रा का उक्त कक्षा के लिए माहविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में शिक्षण शुल्क के रूप में वर्ष
के लिए रूपये (शब्दों में रूपये) जमा किए जाने होंगे।

अशासकीय महाविद्यालय/संस्थान होने की स्थिति में शिक्षण शुल्क की राशि शासकीय माहविद्यालय/संस्थान
में उसे परीक्षा के लिए ली जाने वाली फीस (शिक्षण शुल्क) के बराबर ही देय होगी।

निर्वाह भत्ता

छात्र/छात्रा का उक्त कक्षा के लिए माहविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन
हेतु वर्ष के लिए रूपये (शब्दों में रूपये)
निर्वाह भत्ता स्वीकृत किये जाते हैं।

उक्त निर्वाह भत्ता मात्र 10 माह के लिए स्वीकृत होगा, स्वीकृत 10 माह की राशि वर्ष में दो किश्तों में
अर्थात् 5—5 माह की राशि संबंधित छात्र/छात्रा को देय होगी।

परिवहन भत्ता

छात्र/छात्रा का विश्वविद्यालय/ माहविद्यालय/संस्थान में स्नातकोत्तर परीक्षा में
नियमित रूप से अध्ययन हेतु वर्ष के लिए रूपये (शब्दों में रूपये)
परिवहन भत्ते स्वीकृत किए जाते हैं।

उक्त परिवहन भत्ता मात्र 10 के लिए स्वीकृत होगा, स्वीकृत 10 माह की राशि वर्ष में दो किश्तों में अर्थात् 5—5
माह की राशि संबंधित छात्र—छात्रा को देय होगी।

नेट :— आवेदन पत्र अमान्य करने की स्थिति में स्पष्ट कारण/टीप अंकित करें।

स्थान :—

दिनांक :—

संयुक्त संचालक
सामाजिक न्याय विभाग
इन्डौर संभाग,इन्डौर